an>

Title: Need to enact a law to provide social security benefits to domestic workers and other deprived sections of the country.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) ः आज हमारा देश 69 वर्षों तक की यात्रा करने की ओर अग्रसर है, परंतु हमारे पूर्व शासकों ने देश के हर क्षेत्र में कार्यरत कार्यबलों की सुध नहीं ली, तभी तो देश का एक बड़ा भाग आंदोलन/हड़ताल के माध्यम से अपनी उन्नति की लड़ाई लड़कर आमजनों की दिनचर्या बदहाल कर अपनी मांगों को अंगीकार कराने के लिए सरकार को विवश कर देते हैं। आज सम्पन्न लोग भी आंदोलन के पथ पर अग्रसर हैं, परंतु आज देश के कई ऐसे कामगार हैं, जो अपनी जिंदगी बदहाली में बिना विरोध के यापन कर रहे हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में मैं घरेलू कामगारों और अन्य कामगारों के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारे देश में बीड़ी, भवन मजदूरों एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम है, परंतु देश के कई क्षेत्रों में ऐसे कर्मकार हैं, जिन्हें सरकार द्वारा चिन्हित नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें किसी पूकार की सुविधाएं पेंशन, चिकित्सा, बैंकों द्वारा ऋण, बीमा आदि की सुविधाएंÃ¬ प्राप्त नहीं हैं, ऐसा क्यों?

महाराष्ट्र में घरेलू कामगारों के लिए राज्य स्तरीय कानून छोड़कर केंद्रीय कानून नहीं है। वर्ष 2004-05 के राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार 40.75 लाख कामगार निजी घरों में घरेलू काम करते हैं, जिसमें 30.05 लाख महिलाएं हैं, जबकि इसकी संख्या इससे भी अधिक है।

मेरा आग्रह है कि घरेलू कामगारों और अन्य वंचित कामगारों के लिए समुचित राष्ट्रीय कानून बनाने और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संधि 189 को अनुसमर्थन देकर घरेलू कामगारों एवं अन्य की रक्षा की जाये।